

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-175/2019

संतोष तिवारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य ।
2. उपायुक्त, हजारीबाग, झारखंड ।
3. उप विकास आयुक्त, हजारीबाग, झारखंड ।
4. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष सर्कल, हजारीबाग, झारखंड ।
5. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष प्रभाग, हजारीबाग, झारखंड ।

.....विरोधी पक्षगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री संतोष कुमार तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री हिमांशु कु० मेहता, अधिवक्ता

03/ दिनांक 24 जनवरी, 2020

यह सिविल विविध याचिका, डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-3702/2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है जो 22.02.2019 को खारिज कर दी गई थी ।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना पर आपत्ति नहीं जताई है ।

यह न्यायालय, पूर्वोक्त सबमिशन पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-3702/2017 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन करना उचित और उपयुक्त समझता है ।

इसके मद्देनजर, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है, तदनुसार, इसे निपटाया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-3702/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)